

तेरी आवाज़ भी ज़रूरी तेरा वोट भी ज़रूरी

सेवा मतदाता कौन है?

भारत की सशस्त्र सेनाओं में सेवारत

सेना अधिनियम 1950 के अन्तर्गत बल (असम राइफल्स, सीआरपीएफ बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सड़क संगठन में जीआरईएफ कार्मिक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि)

राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, जो उस राज्य से बाहर तैनात हों

जो भारत सरकार के अधीन नियुक्त किए गए हों किंतु उनकी तैनाती भारत के बाहर हो

*यदि सेवा मतदाता की पत्नी, साधारण रूप से उसके साथ निवास करती है तो वह भी सेवा मतदाता की सूची में पंजीकृत हो सकती है

* विधि के अधीन महिला सेवा मतदाता के पति को फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।



अतः आज ही www.servicevoter.nic.in

पर अपना पंजीकरण कराएं...

ताकि आप आगामी चुनावों में मतदान कर सकें!

मतदाता नामावली में पंजीकरण

सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाएं




या सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं



अपना बहुमूल्य मत डालें : पोस्टल बैलट को कैसे भरें


सेवा मतदाता



आपका वोट अमान्य माना जाएगा यदि:

- यदि आप एक से अधिक उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं।
- यदि आप दो नामों के मध्य में निशान लगा देते हैं जो आपकी पसंद को स्पष्ट नहीं करता।
- यदि पोस्टल बैलट पर आप अपने हस्ताक्षर कर देते हैं या कोई शब्द या निशान बना देते हैं।
- यदि लिफाफा सील/विपकया नहीं गया है।
- अगर बड़ा लिफाफा खोलने पर घोषणापत्र फॉर्म - 13A नहीं पाया जाये।
- यदि फॉर्म - 13A में घोषणापत्र पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं या सक्षम अधिकारी ने सत्यापन (attest) नहीं किया है।

Electronically Transmitted Postal Ballot (ETPB) द्वारा मतदान



वर्गीकृत सेवा मतदाता

अगर आप सेवा मतदाता हैं और सशस्त्र सेवा या सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत किसी बल में हैं तो आप वर्गीकृत सेवा मतदाता के रूप में अपने प्रतिनिधि (Proxy) के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं अर्थात् आप अपने स्थान पर किसी और को वोट करने के लिए चुन सकते हैं।

